

फर्द अहकाम

(नियम-26)

अज अदालत सहायक कलक्टर (एस.डी.एम.) मुकाम जायल (नागौर)

प्रार्थीगण

बनाम

अप्रार्थीगण

बाबू जहीरूदीन

मु. फुलादेवी वगैरह

किस्म प्रकरण : रा.प्रा.पत्र

मुकदमा नं.- 09/15

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियलस जज	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये।
05.01.15	<p>प्रार्थीगण ने जरिये अभिभाषक प्रार्थना-पत्र अधीन धारा 212 आर.टी.एक्ट सपठित आदेश 39 नियम 1 व 2 सीपीसी व धारा 151 सीपीसी के तहत पेश किया है। प्रार्थना पत्र का दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगणों को जरिये सम्मन तलव किया जावे। पत्रावली दिनांक 25.02.2015 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">4</p> <p>कार/पक्षकारान क अधिवक्ता  <u>25/2/15</u>              रोहतास जज के अहकाम में/अवकाश              प्रकाश पत्र के तहत हुक्म को प्रकट पत्र              उनके समक्ष दिनांक 24/2/15 को              पेश हो</p> <p>कार/पक्षकारान क अधिवक्ता  <u>24/2/15</u>              रोहतास जज के अहकाम में/अवकाश              प्रकाश पत्र के तहत हुक्म को प्रकट पत्र              उनके समक्ष दिनांक 21/6/15 को              पेश हो</p> <p>कार/पक्षकारान क अधिवक्ता  <u>21/6/15</u>              रोहतास जज के अहकाम में/अवकाश              प्रकाश पत्र के तहत हुक्म को प्रकट पत्र              उनके समक्ष दिनांक 15/9/15 को              पेश हो</p> <p><u>15/9/15</u> वकील प्रार्थी उपर अप्रार्थीगण              की तलवी के इत्तमाह में दिनांक  <u>18/11/15</u> को पेश हो</p> <p style="text-align: center;">4</p> <p>कार/पक्षकारान क अधिवक्ता  <u>18/11/15</u>              रोहतास जज के अहकाम में/अवकाश</p>	

# FORM NO. 3

फर्द अहकाम आदेश सूची (ऑर्डर सीट)  
(नियम 28)

..... बनाम .....

किस्म.....

संख्या.....

..... वर्ष .....

पीठासीन अधिकारी के लघु हस्ताक्षर सहित आदेश	आदेश की अनुपालना का संक्षिप्त नोट
<p>पक्षकार/पक्षकारान की अतिवक्तता 16.10.17</p> <p>पीठासीन अधिकारी की निर्दिष्ट वे/प्रमाण अवकाश पर गले हुए हैं, इसलिए प्रकरण उनके समाप्त दिनांक.....को प्रस्तुत करें। 16.2.18</p> <p>डा. -</p>	
<p>16<sup>2</sup>/<sub>18</sub> ककुल प्राप्ति उपर ककुल प्राप्ति के विना ही जाती है कि नोतिस तलखाना भागशी तारीख पेशी तक आवश्यक रूप से पेश करे। तलकी हेतु अनितम अवसर प्रदान दिया जाता है अगली दिनांक 26.2.18 को पेश हो।</p>	
<p>26<sup>2</sup>/<sub>18</sub> अगली पेश करी। अप्राप्ति के तद्विषय हेतु नोतिस तलखाना पेश करे। कलिफ वकील प्राप्ति व प्राप्ति के बार-बार आवेग लगायी जा रही पर कु अवसर ही उपलब्ध नहीं हुए। तलकी के लिए कलिफ वकील प्राप्ति व प्राप्ति को तीन वर्ष का समय दिया जा चुका है अतः समय देने के उपरान्त ही नोतिस तलखाना पेश नहीं दिया है इसलिए</p>	

तारीख

पीठासीन अधिकारी के लघु हस्ताक्षर सहित आदेश

प्राप्ति का प्राप्तिपत्र अफम हजरी  
व अफम पेस्वी में श्वारीज किया  
जाता है। पत्रावली नम्बर से रुम  
होकर दफ्तर दाखिल हो।

उपखण्ड अधिकारी  
जायल, जिला नागौर

कि प्रमाण  
क प्रमाणपत्र  
अति प्रमाण

प्रमाण पत्र नम्बर

दिनांक

प्रमाण पत्र नम्बर  
दिनांक

प्रमाण पत्र नम्बर  
दिनांक  
प्रमाण पत्र नम्बर  
दिनांक  
प्रमाण पत्र नम्बर  
दिनांक  
प्रमाण पत्र नम्बर  
दिनांक